

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा / ग्रुप-2 / 2020

जयपुर, दिनांक : 03.06.2020


आदेश

विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14.04.2020 के द्वारा कोरोना से संक्रमित ऐसे मरीज जिनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण नहीं है (Asymptomatic and Positive) के उपचार हेतु ईएसआई मॉडल अस्पताल, जयपुर में भर्ती किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे। ईएसआई मॉडल अस्पताल, जयपुर में बीमित श्रमिकों को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत ईएसआई मॉडल अस्पताल, जयपुर को कोविड-19 के मरीजों के उपचार से आगामी आदेशों तक मुक्त किया जाता है। भविष्य में आवश्यकता होने पर 24 घण्टे के नोटिस पर कोविड-19 के ईलाज हेतु उक्त चिकित्सालय की सेवाएँ पुनः ली जा सकती हैं।


(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय /
3. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग एवं नोडल अधिकारी कोविड-19, जयपुर
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
7. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
8. अधीक्षक, ईएसआई मॉडल अस्पताल, जयपुर
9. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
10. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
11. निजी / रक्षित पत्रावली


(संजय कुमार)
3.6.2020
शासन उप सचिव